न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या – 2022/337
राजेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। **– वादी**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर **–प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज।

–:निर्णयः–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजारोही ढाणीपुरबाना तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 535 तादादी 44.0 बीघा बारानी भूमि स्थित है जिस पर वादी कब्जा काश्त हैं। वादगत भूमि वादी की पुरानी खरीदशुदा भूमि है जिसमे वादी का नाम लीलूराम दर्ज किया गया। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र है इसलिए वादी अपना नाम लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। दिनांक 28.05.2022 को वादी तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गए तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। यह दिनांक वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। वादी के नाम से खातेदारी कृषिभूमि मौजारोही ढाणीपुरबाना तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 535 तादादी 44.0 बीघा बारानी भूमि खातेदारी भूमि जिसमें वादी अपना नाम लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज कर शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वादी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम ढाणीपुरवाणा, जमाबन्दी चक 7 डीएलपी हनुमानगढ संवत 2074–77, पेन कार्ड,जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति,वोटर कार्ड छायाप्रति,राशन कार्ड छायाप्रति, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत छौलीपाल जिला हनुमानगढ दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि दस्तावेजो की छाया प्रति के अतिरिक्त दुरूस्ती के पक्ष मे शपथ पत्र पेश किए गए है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दुरूस्ती के पक्ष मे रिपोर्ट शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी अपने साक्ष्य से साबित करें कि वादी का नाम राजूराम ही हैं। वादी का नाम लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र न्यायिक हित में किया जाता है तो सरकार को हानि नहीं हो रही हैं।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के नाम संयुक्त खातेदरी कृषि भूमि मौजारोही ढाणीपुरबाना तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 535 तादादी 44.0 बीघा बारानी खातेदारी भूमि अपने हिस्से अनुसार कब्जाकाश्त में हैं। कब्जाकाश्त जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। अन्य सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम राजेन्द्र होने के कारण वादी राजस्व रिकॉर्ड मे लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा की जावें।

वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम ढाणीपुरवाणा, जमाबन्दी चक 7 डीएलपी हनुमानगढ संवत 2074–77, पेन कार्ड,जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति,वोटर कार्ड छायाप्रति,राशन कार्ड छायाप्रति, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत छौलीपाल जिला हनुमानगढ दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि की छाया प्रतिया पेश की जिनके आधार नाम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य को कोई आपति नहीं है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव तहसीलदार जवाब व वादी की ओर से पेश किये गए साक्ष्य के आधार पर वादगत भूमि में वादीया का नाम राजूराम सही प्रतीत होता है। जबकी अन्य दस्तावेजो मे वादी का नाम राजूराम ही है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजारोही ढाणीपुरबाना तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 535 तादादी 44.0 बीघा बारानी भूमि में वादी का नाम लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

राजेन्द्र **बनाम** **सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
337/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजारोही ढाणीपुरबाना तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 535 तादादी 44.0 बीघा बारानी भूमि में वादी का नाम लीलूराम के स्थान पर राजेन्द्र दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-.......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.08.2023 को डिक्री जारी की गई।

उपखण्डा अधिकारी
लूनकरनसर